

1011

sale 3,65,000/-

PS. Deoghar

Dec

3-70dec-876



3.709x81545

8024501-

freepaid  
Ac - 10950 = 00

03AA 803660

Stamp  
146001-

निबंधन अधिनियम.....के अधीन  
और छोटानागपुर/संतालपरगना टेम्प्लेन्सी एक्ट की  
धारा.....के अधीन भी ग्राह्य है और  
इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के  
खण्ड.....के अधीन यथावत स्टाम्प सहित  
(य स्टाम्प शुल्क के विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)

21/09/2012  
निबंधन पदाधिकारी

Lalmani Devi  
21/09/2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

दस्तावेज जाँच किया  
21/9/12  
जाँचकर्ता

146

**बिक्रय पत्र कीमत कुल 3,65,000/-रूपये मात्र**

विक्रेता :-1.श्रीमती लालमणि देवी पति स्वर्गीय बसन्त कुमार।  
2.श्री शैलेन्द्र कुंमार पिता स्वर्गीय बसन्त कुमार।  
जाति कायस्थ, पेशा कास्तकारी आदि, साकिनान रोहिणी, थाना जसीडीह,  
सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला-देवघर, राज्य-झारखण्ड, वर्तमान साकिनान  
ए- -1,टी आर वाई कॉपरेटिव हाउसिंग कॉलोनी, हरगरगट्ट, जमशेदपुर-831002,

क्रेता :-श्रीमती माधुरी देवी पति श्री अनिल कुमार झा, जाति ब्राह्मण, पेशा  
गृहस्वामीनी, साकिन डेकडीह, पत्रालय, रतनपुर, थाना जमुई, सबडिविजन,  
सबरजिष्ट्री व जिला-जमुई, राज्य-बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय।

न्यूनतम मूल्यांकन फंड के आधार  
पर मूल्यांकन किया  
21/9/12

ATTESTED  
NOTARY (REGD. No.-225104  
M.T.C. JHARKHAND)

कोषागार पदाधिकारी  
देवघर


जानकी माधुली देवी  
पति अतिल कुमार मा.  
[नं० डेकरी - माता] जिला  
पुर्वांचल

For Sale deed


10,000 X 1 =	10,000 = 00
1,000 X 4 =	4,000 = 00
500 X 1 =	500 = 00
100 X 1 =	100 = 00

Total - 14,600 = 00

Rs- 14,600 = 00 (Fourteen thousand six hundred)



Stamp Clerk  
Deogarh Treasury  
P. O. + Dist. Deogarh



Lalmani Prasad  
21.09.2012

श्री जानकी देवी पिता नाम श्री अतिल कुमार  
निवास स्थान पुर्वांचल  
जाति ब्राह्मण पेशा कृषक जो लेख्यकारी/दावेदार  
या अवर निबंधक देवघर द्वारा प्रमाणितकृत मुख्तारनामा  
संख्या ... वर्ष ... के अधीन लेख्यकारियों या दावेदारों  
में से एक श्री ... के अधिकर्ता (अहर्नी) है ने  
रा. ... के पूर्वाहन/अचराहन में ...  
(समय) जिला में निबंधन के लिए पेश किया।



अवस्थापक का हस्ताक्षर

निबंधन पत्र का हस्ताक्षर





Lalmani Devi  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

लेख्य प्रकार :- बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :- कुल 3,65,000 /- तीन लाख पैंसठ हजार रुपये मात्र।

बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण :- थाना नं० 582, जिला, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर के अन्तर्गत मौजा झौंसागढ़ी चकसाराजोर के अन्दर पोखनाटील्हा में असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की जमीन रकवा 1,616 वर्गफीट (एक हजार छः सौ सौलह वर्गफीट) यानि 3.709 डिसमिल (तीन दशमलव सात शुन्य नौ डिसमिल), अन्दर जमाबंदी न० 123, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड नं० 08, वर्तमान में देवघर नगर निगम वार्ड न० 24, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा हुआ मार्क। का अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया, जिसकी चौहद्दी :-

1000Rs.



Lalman's Pen  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

उत्तर :-15'-00" फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता।  
इधर की माप पुरबा-पश्चिमा 25'-00" फीट।

दक्षिण :-नवनीत कुमार की खरीदगी जमीन मार्क ॥ का अंश।  
इधर की माप पुरबा-पश्चिमा 25'-00" फीट।

पुरब :-बिक्रेता की जमीन इसी मार्क । का अंश।  
इधर की माप उत्तरा-दखिना 64'-08" फीट।

पश्चिम :-बिक्रेता की जमीन इसी मार्क । का अंश जो अन्य विक्रय पत्र के द्वारा  
कुमारी संगीता खरीद रही हैं एवं बिक्रेता की जमीन इसी मार्क । का  
अंश जो अन्य विक्रय पत्र के द्वारा श्रीमती शकुन्तला देवी खरीद रही  
हैं।  
इधर की माप उत्तरा-दखिना 64'-08" फीट।



Lalwani Devi  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, तालुक तीउर बलिया, शामिल मौजा झौंसागढ़ी चकसाराजोर में मोरस्सी मोकरी सत्व की बसौड़ी जमीन, रकवा 106 (एक सौ छः) बीघा, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका तत्कालीन वार्ड न0 12, तौजी न0 1/26, को बाबु मदन मोहन प्रसाद, बाबु जगत मोहन प्रसाद, बाबु शशी मोहन प्रसाद, तीनों के पिता स्वर्गीय बाबु राधाकृष्ण प्रसाद, बाबु राश बिहारी मोहन प्रसाद नाबालिग व बाबु ब्रज मोहन प्रसाद नाबालिग, दोनों के पिता स्वर्गीय राधाकृष्ण प्रसाद, नाबालिगान तरफ गार्जीयन भाई उपर्युक्त बाबु शशि मोहन प्रसाद पिता स्वर्गीय राधाकृष्ण प्रसाद, साकिनान रोहिणी, थाना जसीडीह, जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासीगण ने दिनांक 25/09/1949 ईस्वी में निष्पादित तथा दिनांक 03/12/1949 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक किता मोरस्सी मोकरी पट्टा पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 05, पृष्ठ संख्या 53 से 57 में निबंधित जिसकी संख्या 238 वर्ष 1949



Lalmani Dey  
21-09-2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

ईस्वी के द्वारा, ठाकुर चन्द्र नारायण देव घाटवाल पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रताप नारायण देव, साकिन डयोढ़ी लक्ष्मीपुर, थाना कटोरिया, जिला भागलपुर, वर्तमान जिला बांका व साकिन झौंसागढ़ी, थाना देवघर, जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासी से मोरस्सी मोकररी बसौड़ी बन्दोबस्त सुरत प्राप्त किये, मोरस्सी मोकररी पट्टा की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-1

उपर्युक्त बाबु मदन मोहन प्रसाद, बाबु जगत मोहन प्रसाद, बाबु शशी मोहन प्रसाद, बाबु राश बिहारी मोहन प्रसाद व बाबु वृज मोहन प्रसाद उक्त प्राप्त सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए दिनांक 14/9/1952 ईस्वी में उक्त 106 बीघा जमीन को एक खानगी नक्शा बनवाकर तथा प्लार्टिंग कर व आपस में बंटवारा कर लेने पर, उक्त खानगी बंटवारा के लॉट न0 2 में वर्णित प्लॉट न0 41, 42, 43 व 44 के साथ ही साथ अन्य सम्पत्ति उपर्युक्त जगत मोहन प्रसाद के हिस्से मे मिली।

500Rs.






Lalmani Devi  
21-09-2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

उपर्युक्त जगत मोहन प्रसाद उक्त अपने हिस्से की सम्पत्ति पर अलग रूप से व निर्विवाद रूप से बहैसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोग दखल करते हुए अपने पीछे पाँच पुत्र गण क्रमशः बसन्त कुमार, शरद कुमार अम्बष्ट, शिशिर कुमार अम्बष्ट, गिरिश कुमार व मेघेन्द्र कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये।

उपर्युक्त बसन्त कुमार के स्वर्गवास कर जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती लालमणि देवी व एकमात्र पुत्र शैलेन्द्र कुमार उनके अंश के मालिक व दखलकार हुए। उपर्युक्त शरद कुमार अम्बष्ट के स्वर्गवास कर जाने पर उनके दो पुत्र क्रमशः संजीव कुमार व सागर कुमार उनके अंश की मालिक व दखलकार हुए।

Lalmani Devi  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21.09.2012

छाया चित्र, हस्ताक्षर एवं टीप निशान -


 <p>Lalmani Devi Attested by me Sitaranand</p>	<p>Lalmani Devi 21.09.2012</p>				
 <p>Shailendra Kumar Attested by me Sitaranand</p>	<p>Shailendra Kumar 21.09.2012</p>				
 <p>Attested by me Sitaranand</p> <p>साधुरी देवी</p>	<p>साधुरी देवी 21.9.12</p>				

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन को सुना व समझा दिया प्रारूप कता सीताराम पंडित  
डीडरायटर देवघर 21.09.2012  
प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में  
लगा है, के बाँये हाथ के अंगूलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, सीताराम पं  
डीडरायटर देवघर 21.09.2012

ATTESTED  
21.9.12  
SIVAREGD.No.-225/04  
SITARANAND



**PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- JHOUNSAGARHI  
 (CHAK SARAJORE) NO- 582 WITHIN DEOGHAR NAGAR  
 NIGAM WARD NO -24 J. B. NO -123 MARK-I PART  
 AREA-1616sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONG'S TO  
 Smt. LALMANI DEVI & SRI SHAILENDRA KUMAR &  
 NOW SOLD TO Smt. MADHURI DEVI W/O SRI ANIL  
 KUMAR JHA OF DHENKDIH, P.S -& DIST- JAMUL.**



*Lalmani Devi*  
*21.09.2012*  
*Shailendra Kumar*  
*21-09-2012*

3359

राजत सम्मति पत्राट  
 Court of the Subordinate Judge  
 Deoghar, District Deoghar  
 Kumar s/o Late...  
 P.O. Hazaribagh, P.S. Jaskin, Dist. Jamul.  
 Ground Floor - ...  
 1. Shailendra Kumar s/o Late...  
 2. Anand Kumar Ambastha, 4 Sagar Kumar s/o...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...

*Traced By*  
*M. K. K.*  
*20/9/2012*

**ATTESTED**  
 21/12/2012

NOTARY PUBLIC No. 225/04  
 GOVT. C. ... KHAND  
 ...

is the resident of ...  
 Shivdayal Nagar, at & P.O. Hazaribagh, P.S. and District Hazaribagh, the  
 defendants No. 4 is the resident of "Jhula Niketan", Flat No. B-2, Second



झारखण्ड JHARKHAND

B 835984

Lalmani Devi  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

उक्त सम्पत्ति प्लॉट न० 41, 42, 43 व 44 रकवा 26,995 वर्गफीट, अन्दर जमाबंदी न० 123 के बंटवारा बावत In the Court of the Subordinate Judge Deoghar, District Deoghar, Title (Partition) suit No. 18/2010, 1.Girish Kumar s/o Late Jagat Mohan Prasad, resident of Village Rohini, P.O. Rohini, P.S. Jasidih, District Deoghar (Jharkhand) at present residing at A-052, Ground Floor, South City-II, Sohna Road, Gurgaon—122 018 (Haryana)—Plaintiff Versus 1.Smt. Lalmani Devi w/o Late Basant Kumar, 2.Shailendra Kumar s/o Late Basant Kumar, Sanjeev Kumar s/o Late Sharad Kumar Ambastha, 4.Sagar Kumar s/o Late Sharad Kumar Ambastha, 5.Shishir Kumar Ambastha s/o Late Jagat Mohan Prasad, 6.Meghendra Kumar s/o Late Jagat Mohan Prasad, all residents of Village Rohini, P.O. Rohini, P.S. Jasidih, District Deoghar (Jharkhand), at present the defendants No. 1 and 2 are the residents of A-1 TRY Co-operative Housing Colony, Hargargutt, Jamshedpur—831002, the defendant No. 3 is the resident of c/o Benoy Kumar Sinha, Advocate, Ram Nagar—Shivdayal Nagar, at & P.O. Hazaribagh, P.S. and District Hazaribagh, the defendants No. 4 is the resident of "Jhula Niketan", Flat No. B-2, Second

ATTESTED  
21/09/2012  
TARYIED No-225/04  
JHARKHAND  
(India)

Lalmani Devi  
21.09.2012

Lalmani Devi  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

Floor, West Boring Canel Road, Anandpuri, Patna—600 011 (Bihar), the defendant No. 5 is the resident of House No. My/30c, New Yarpur Road, Patna—600001 (Bihar) and the defendant No. 6 is the resident of S—324, Ground Floor, S.S.Group, South End, Gurgaon—122001 (Haryana)—Defendants मुकदमा हुआ। उक्त मुकदमा में संबंधित पक्षकारों ने आपस में सुलह कर तथा उक्त सम्पत्ति का आपस में बंटवारा कर दिनांक 29/04/2010 ईस्वी में उक्त अदालत में संयुक्त सुलहनामा आवेदन दाखिल किये, उक्त सुलहनामा आवेदन के आधार पर डिफ्री सीट बना। उक्त मुकदमा में दिनांक 03/06/2010 ईस्वी के आदेशानुसार, बमोजीव उक्त सुलहनामा आवेदन में वर्णित सिड्युल "बी" तथा संलग्न नक्शा में लाईट ग्रीन रंग से रंगा हुआ मार्क I रकवा 5,459 वर्गफीट, अन्दर प्लाट न0 41, 42, 43 व 44, अन्दर जमाबंदी न0 123, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 8, उपर्युक्त लालमणि देवी व शैलेन्द्र कुमार जो उक्त मुकदमा में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हैं, के हिस्से में मिली, मार्क II संजीव कुमार व सागर के हिस्से में मिली, मार्क III शिशिर कुमार अम्बष्ट के हिस्से में मिली, मार्क IV गिरिश कुमार के हिस्से में मिली एवं मार्क V मेघेन्द्र कुमार के हिस्से में मिली, टाइटल पार्टीशन सुट की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-2

उपर्युक्त हम बिक्रेता संख्या 1 लालमणि देवी व बिक्रेता संख्या 2 शैलेन्द्र कुमार उक्त अपने हिस्से की सम्पत्ति रकवा 5,459 वर्गफीट पर अलग रूप से दखलकार होकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 267/2012-2013 के द्वारा, दिनांक 29/06/2012 ईस्वी के आदेशानुसार राजस्व विभाग के पंजी II में अपना नाम दर्ज करवाये, नामान्तरण आदेश की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-3

उपर्युक्त हम बिक्रेता उक्त जमाबंदी न0 123 (Vol—XXV, Page—117) के बावत सालाना खजाना 25/—रूपये अलावे शेष वगैरह आदाय कर खजाना रसीद न0 JB/41 610359 प्राप्त कर बहैसियत पूर्ण मालिक आजतक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हैं, खजाना रसीद की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-4

Lalmani Devi  
21-09-2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

अंचल अधिकारी का कार्यालय देवघर के ज्ञापांक 1355/रा0 दिनांक 08/09/2012 ईस्वी के अनुसार भूमि हस्तान्तरणीय सत्यापित है। हस्तान्तरणीय प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न, अनुलग्नक-5

अभी हम बिक्रेता को अपने-अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिए रुपये की सख्त जरूरत है, इसलिए उक्त सम्पत्ति के अन्दर रकवा 1,616 वर्गफीट जिसका पूर्ण विवरण उपर खाना न0 5 में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किये।

आप क्रेता उसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर अपने संचित स्त्रीधन से खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से उसकी कीमत कुल 3,65,000/-तीन लाख पैंसठ हजार रुपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 3,65,000/-तीन लाख पैंसठ हजार रुपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर, उपर खाना न0 5 में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिया और आपके दखल कब्जे में दे दिया।

अब आप क्रेता, हम बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववती व दखलकारीणी होकर मय अपने उत्तराधिकारी वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने की अधिकारीणी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करती रहें, इसमें हम बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र-आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

उक्त बिक्रीत सम्पत्ति के हम बिक्रेता ही मालिक हैं इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले उक्त सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय-संयुक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किये हैं, हर तरह से साफ व पाक है।

Lalmanu Pan  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21-09-2012

उक्त बिक्रीत सम्पत्ति के संबंध में अगर भविष्य में, हम बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में, आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध एवं खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहेंगे।

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दबाव या बहकावे कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिया जो प्रमाण रहे, दिनांक 21.09.2012

घोषणा :- उक्त बिक्रीत सम्पत्ति अन्य सड़क में है जो आवासीय है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है।

गवाहान

① Lalmanu Pan  
Doshi Jaganmohan Pan  
Bam - Bam 5959  
Kotraj B. Deoghar  
21.09.12

② Sunil Kumar Singh  
310 Sri Loka Hazari Singh  
Bam Bam baba colony  
Bam Bam baba Kutra  
Deoghar.  
21.9.12 R.T.D.

Lalmanu Das  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21.09.2012

रकम प्राप्ति रसीद  
(Memo of consideration)

1. Draft No 100394 dated 20.09.2012  
S.B. 9. झांझा of Rs \_\_\_\_\_ 1,50,000=00
  2. Draft No 100390 dated 19.09.2012  
S.B. 9. झांझा of Rs \_\_\_\_\_ 2,00,000=00
  3. By cash of Rs \_\_\_\_\_ 15,000=00
- Total-3,65,000=00

(Three lac sixty five thousand) only as full and final consideration money.

Lalmanu Das  
21.09.2012  
Shailendra Kumar  
21.09.2012